

२८/२-१७

बकुलाप उपस्थित। हमने
 वकील आर्ची के प्राथमिक पर विस्तार
 से सुनना तथा राजस्व वाद सीटियां
 २७६/२००७ अनवान प्रमोदामबनाम
 रमेश अनगति धारा ४४, ५३, १४४
 R.T.A पर दिनांक ७-१०-२०११ के
 अदम हाजरी एवं अदम परवी के
 शवाबिज ही गवास्ता के अर्थ आर्ची
 मन्सुख करवाकर प्रमोद राजस्व वाद
 की गवास्ता पर सिबि करवाना
 चाहते हैं प्राथमिक पर के बर्तित
 तर्कों पर सहाय्य प्रतिपूर्वक विचार
 किया गया तथा राजस्व वाद की
 पुनः बराबद किया जाकर एवं सुनिश्चित
 किया जावे। तथा राजस्व प्राथमिक
 पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर
 गवास्ता के अर्थ सुमार टंकर वास्तु
 हफ्तर हो

बिदायक नितेश एवं उपसण्ड अधिकारी
 बुणा (जोधपुर) राज.